न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 412/2020 (GCMS No. 2020/00419) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. अजब सिंह पुत्र बावू जाति ठाकुर निवासी ग्राम बोरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

..........अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

.........रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 10.01.2017 मुकदमा नं. 84/2016 उनवानी अजब सिंह बनाम सरकार व तहसीलदार बसेडी का आदेश दिनांक 23.09.2016 प्र.सं. 04/16 उनवान सरकार बनाम अजब सिंह।

उपस्थितिः–

1. अपीलांट की ओर से श्री हरवीर सिंह, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 10.01.2017 एवं तहसीलदार बसेडी के आदेश दिनांक 23.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट के विरूद्ध सम्वत् 2073 में वांके ग्राम बोरेली तहसील बसेडी की सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 735 रकवा 0.25 हैक्टे. भूमि किस्म नहरी दोयम पर खरीफ फसल ढेंचा बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बोरेली द्वारा की जाने पर तहसीलदार बसेडी ने अपीलांट को बिना नोटिस तामील कराये व बिना सुने अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित कर 163 रूपये अर्थदण्ड एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई जिसके

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर को अपील पेश की। जिला कलक्टर धौलपुर ने दिनांक 10.01.2017 को निर्णय पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील स्वयं अपीलांट पर हुई, किन्तु बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण है। इसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट बयान व अपीलांट ने स्वयं माना है कि अपीलान्ट का 30 वर्ष पुराना कब्जा है, मानकर अपील अपीलांट खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।

3. उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का बोरेली ने सिवायचक आराजी ख.नं. 735 रकवा 0.25 हैक्टै. किस्म नहरी दोयम वार्षिक लगान रूपये 3.25 पर फसल खरीफ सम्वत् 2073 में ढेंचा बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पुष्टि भू अभिलेख निरीक्षक ने जांचकर की है, के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना नोटिस तामील कराये व प्रार्थी को बिना सुने 163 रूपये का जुर्माना एवं 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील स्वयं अपीलांट पर हुई, किन्तु बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ एवं अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण है। इसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट बयान व अपीलांट ने स्वयं माना है कि अपीलान्ट का 30 वर्ष पुराना कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की विधिवत तामील नहीं कराई एवं न ही अपीलांट को कोई सम्मन तामील हुआ। अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय दिया गया है। प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है। प्रार्थी का पुराना कब्जा लगभग 30 वर्षों से है। नियमन की रिपोर्ट भी है। उसके बावजूद भी सजा कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बसेडी द्वारा भेजे गये नोटिस पर राधेश्याम के फर्जी हस्ताक्षर कराकर तामील मान ली है। प्रार्थी के भाई के असल हस्ताक्षर अपील में अंकित हैं। न्यायालय के यहॉ से भेजे गये नोटिस तामील पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में राधेश्याम के हस्ताक्षरों से भिन्न है। जिससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि अपीलांट को कोई सम्मन तामील नहीं हुआ। नोटिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर हैं। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने बयानों में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह नहीं

अति. सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर

बताया कि अपीलांट का कितने वर्षों पुराना कब्जा है और किस वर्ष में अपीलांट द्वारा कब्जा किया गया था। अपीलांट को पटवारी से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं साक्ष्य के अभाव में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में कहा है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का लगभग 30 वर्ष पूर्व का कब्जा बताया है। जो नियम 21 दि राजस्थान कोलोनाईजेशन मीडियम माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट गवर्मेन्ट लैण्ड अलोटमेंट रूल्स 1968 के तहत नियमन किये जाने योग्य है। इसलिए अपीलांट की आराजी पर नियमन की सिफारिश की जानी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 23.09.2016 तहसीलदार बसेडी एवं निर्णय दिनांक 10.01.2017 जिला कलक्टर धौलपुर निरस्त कर अपीलांट की सिविल कारावास की सजा माफ की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा न्यायिक नजीर आरएलडब्ल्यू 2008 (1) RJ पेज 670 पेश की।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को तामील भी विधिवत रूप से उसके भाई को हुई है। जिसमें अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट का पश्चावर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। जो उसके अपील में वर्णित कथनों से प्रमाणित है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलांट को आराजी खसरा नम्बर 735 रकवा 0.25 हैक्टे. सिवायचक भूमि वांके ग्राम वोरेली पर संवत् 2073 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त कर लिये जाने पर विवादित आराजी से बेदखली, शास्ती व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है, कतई गलत है। पटवारी रिपोर्ट एवं बयान से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य को अपीलांट ने अपनी अपील में भी स्वीकार किया है। अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई तथा तामील पर फर्जी हस्ताक्षकर हैं, के संबधं में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / सबूत पेश नहीं किया जिससे साबित होता हो कि तामील विधिवत नहीं हुई

अति. सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर

और सुनवाइ का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट वावजूद नोटिस तामील सूचना नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट का कथन कि विवादित आराजी की तहसीलदार बसेडी द्वारा नियमन की कार्यवाही की सिफारिश की है। नियमन की कार्यवाही तथा धारा 91 की कार्यवाही पृथक–पृथक प्रक्रिया हैं जब तक विवादित आराजी का नियमन अपीलांट के हक में नहीं हो जाता है तब तक आराजी सिवायचक रहेगी तथा उस पर होने वाला कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में माना जायेगा। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में न्यायालय के मत में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलें सारहीन हैं तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतभी उनके मददगार सावित नहीं हैं। अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसेडी का आदेश दिनांक 23.09.2016 एवं जिला कलक्टर धौलपुर का आदेश दिनांक 10.01.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर